आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : एफ–3–6/2022/तेरह/04 भोपाल, दिनांक

प्रति,

1 प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र
विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

2 मुख्य अभियंता (वि.सु.) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक
म.प्र., सतपुड़ा भवन,
भोपाल।

विषयः म.प्र. स्टार्ट–अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के अंतर्गत विद्युत शुल्क से छूट बाबत्।

:–:

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2022 के द्वारा जारी म.प्र. स्टार्ट–अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के अधीन उत्पाद आधारित स्टार्ट–अप इकाईयों को सशर्त विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिनमें विद्युत शुल्क से छूट भी सम्मिलित है।

2/ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 23.02.2022 के अधीन पात्र नवीन उत्पाद आधारित स्टार्ट–अप इकाईयों को विद्युत वितरण कंपनी से विद्युत संयोजन प्राप्त करने की तारीख से 3 वर्षों की कालावधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करने संबंधी विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 का म.प्र. राजपत्र दिनांक 27.05.2022 में प्रकाशन किया गया है। निर्देशानुसार अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(रोहित शाह)
उप सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग
भोपाल, दिनांक 31 MAY 2022

पृ. क्रमांक : एफ–3–6/2022/तेरह/04

प्रतिलिपि–

सचिव, म.प्र. शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, द्वितीय मंजिल, वल्लभ भवन–3, भोपाल।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

उप सचिव 31/05/2022
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2022

क्र. एफ 03-06-2022-तेरह.—यतः, उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने अपने आदेश क्रमांक 449-495-2021-अ-तिहत्तर, दिनांक 23 फरवरी 2022 के माध्यम से जारी मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति कार्यान्वयन योजना, 2022 के अधीन ऐसी इकाईयों को सशर्त विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिनमें विद्युत् शुल्क से छूट भी सम्मिलित है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2022 के अधीन पात्र नवीन-उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप इकाईयों को वितरण कंपनी से विद्युत् संयोजन प्राप्त करने की तारीख से 3 वर्षों की कालावधि के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परन्तु पात्र इकाईयों को विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट उक्त योजना के अधीन गठित राज्य स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के उपबंधों के अध्यधीन होगी.

3. यह अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

No. F-03-06-2022-XIII.—WHEREAS, in order to encourage Product Based Start-Ups, the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, has granted conditional special financial assistance to such units, under Madhya Pradesh Start-up Policy and Implementation Scheme, 2022, issued *vide* its order No. 449-495-2021-A-73, dated 23rd February, 2022 in which exemption from Electricity Duty is also included;

2. Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts the new Product Based Start-Up units eligible under order dated 23rd February 2022 of Department of Micro, Small and Medium Enterprises, from the payment of Electricity Duty for a period of 3 years from the date of obtaining electricity connection from Distribution Company:

Provided that exemption from payment of Electricity Duty to the eligible units shall be subject to the provisions of acceptance order issued by the State Level Assistance Committee constituted under the said Scheme.

3. This notification shall be deemed to have come into force from 25th February 2022.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2022

सूचना

क्र. एफ-3-77-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा खरगोन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खरगोन मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2022

क्र. एफ-03-77-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-03-77-2021-अठारह-5, दिनांक 17 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.